रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2006/पौष 1, 1928

No. 286] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2006/PAUSA 1, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2006

प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु नीति

एफ. सं. एल-12022/1/03-जीपी (भाग-II).—भारत सरकार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु जनहित में निम्नलिखित नीति की सहर्ष घोषणा करती है। यह नीति, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएगी।

1. उद्देश्य

1.1 विनियामक सुधारों से बाजार शक्तियां प्रतियोगिता बढ़ा पाती हैं तथा और अधिक प्रतियोगी एवं कार्यक्षम औद्योगिक ढांचा बना पाती हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। एक ओर यह माना जा रहा है कि प्रतियोगिता से विनियमन की आवश्यकता घट सकती है, वहीं कई क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थानों में एकाधिकार है जहां विनियमन के लाभ लागत की तुलना में अधिक हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी या स्थानीय वितरण नेटवर्क इस श्रेणी में आते हैं।

1.2 देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। एनईएलपी के अंतर्गत अन्वेषणात्मक गतिविधियों में वृद्धि, पूर्वी तट में बड़ी मात्रा में गैस की खोज, पश्चिमी तट पर एलएनजी आयात टर्मिनलों की स्थापना, भावी एलएनजी टर्मिनलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस हेतु सरकार के प्रयासों के कारण राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड तथा शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से देश में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के भावी विकास हेतु नीतिगत ढांचे के प्रावधान की आवश्यकता महसूस की गई।

1.3 इस नीति का उद्देश्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में निजी क्षेत्र के साथ-साथ आम जनता के निवेश को बढ़ावा देना है ताकि बिना किसी भेदभाव के सभी कंपनियों की पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच हो सके, कम्पनियों में प्रतियोगिता रहे ताकि कोई कम्पनी अपनी बृहद स्थिति का दुरुपयोग न कर सके और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु गैस की उपलब्धता तथा उचित शुल्क के संदर्भ में उपभोक्ता के हित की रक्षा हो।

1.4 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (इसे यहां इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास हेतु विधिक ढांचे का प्रावधान है। इस नीति को यहां नीचे अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाए। जब तक कि अन्यथा वर्णित न हो इस नीति में प्रयोग की गई विभिन्न शर्तों एवं भाषा का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में वर्णित है।

2. प्रयोज्यता

2.1 यह नीति प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर लागू होगी लेकिन विनियमित पाइपलाइनों से विशिष्ट उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए बिछाई गई समर्पित पाइपलाइनों पर लागू नहीं होगी, बशर्ते ये पाइपलाइनें स्वयं के उपयोग के लिए हों तथा पुन: बिक्री के लिए न हों।

2.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा जाएगा) के अंतर्गत गठित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित या विस्तृत करने के लिए एक कम्पनी का चयन करेगा। तथापि समर्पित पाइपलाइनों के संबंध में, ऐसी पाइपलाइनों की स्वामी कम्पनी को प्रति छ: माही में बोर्ड के समक्ष आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसी किसी पाइपलाइन के भविष्य में समर्पित पाइपलाइन न रहने पर बोर्ड को इससे अवगत कराया जाएगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिए जाने की आवश्यकता होगी।

3. प्राधिकार प्रदत्त करना

3.1 बोर्ड के प्राधिकार के बिना कोई भी गैस पाइपलाइन या शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क स्थापित, निर्मित प्रचालित या विस्तारित नहीं किया जाएगा।

परन्तु गैस पाइपलाइन हेतु किसी कम्पनी को ऐसा प्राधिकार तभी दिया जाएगा यदि पाइपलाइन की डिजाइन क्षमता संबंधित कम्पनी की क्षमता संबंधी आवश्यकताओं तथा अनुबंधित निश्चित क्षमता (कुल क्षमता) से कम से कम 33 प्रतिशत अधिक हो तथा यह अतिरिक्त क्षमता बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवहन दरों पर भेदभाव रहित तथा मुक्त पहुंच आधार पर किसी भी तीसरी पार्टी को कॉमन कैरियर आधार पर उपयोग हेतु उपलब्ध हो।

'मुक्त पहुंच' कॉमन कैरियर आधार के अंतर्गत उपलब्ध क्षमता को पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से आबंटित किया जाएगा, जिसका निर्धारण इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार होगा।

3.2 गैस पाइपलाइन पहुंच क्षमता बुकिंग या परिवहन शुल्क के संबंध में कोई मामला उठने पर कंपनियां बोर्ड से संपर्क करेंगी। बोर्ड अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के आधार पर मामले के तथ्यों के अनुसार समुचित एवं निष्पक्ष आदेश जारी करेगा।

3.3 शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित या विस्तारित करने के लिए प्राधिकृत कम्पनी को विपणन सेवा दायित्वों को मानना होगा जिन्हें बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित करेगा। बोर्ड शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्मित, प्रचालित या विस्तारित करने की अवधि पर निर्णय करेगा जो इससे संबंधित विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी होगा। बोर्ड शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को अपने विनियमों में पारदर्शी और वस्तुपरक ढंग से वर्णित सिद्धातों का अनुपालन करते हुए और अधिनियम में निहित अनेक उद्देश्यों के अनुरूप कॉमन कैरियर या अनुबंधित कैरियर के परिप्रेक्ष्य से बाहर रखने के वर्षों की संख्या का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का निर्णय अपने विनियमों के माध्यम से करेगा।

3.4 प्राकृतिक गैस के विकास हेतु तथा जनहित में दीर्घकालिक योजना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार पाइपलाइन शहरी गैस या किसी मार्ग विशेष, भौगोलिक क्षेत्र में/पर शहरी या स्थानीय वितरण नेटवर्क निर्मित करने पर विचार करेगी। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार बोर्ड को इच्छुक पार्टियों से पारदर्शी एवं उद्देश्यात्मक तरीके से अधिनियम के प्रावधानों तथा विनियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने को कहेगा ।

4. बोली बंध पत्र और कार्य निष्पादन बंध पत्र

4.1 गैस पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित या विस्तारित करने की इच्छुक किसी कंपनी को बोर्ड के समकक्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का एक बोली बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस राशि का निर्धारण इस दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाएगा जिससे केवल गम्भीर बोलीदाता ही बोली प्रक्रिया में भाग ले सकें। यदि बोलीदाता को बोली मिल जाती है लेकिन बाद में बोली छोड़ देता है तो इसे भुना लिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का कार्य निष्पादन बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि डिजाइन/प्रस्ताव के अनुरूप समय से निर्माण हो सके और प्रचालन अवस्था के दौरान निष्पादन संबंधी वचन को पूरा किया जा सके। बोर्ड परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर कम्पनियों के साथ समीक्षा करेगा ताकि इस बात की संतुष्टि कर सके कि परियोजना रिपोर्ट में बताई गई प्राधिकरण की शर्तें और मानदंडों का पूर्णत: पालन किया जा रहा है। परियोजना में निर्धारित अवधि या मानदंड और या प्राधिकरण की किसी अन्य शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर प्राधिकृत कंपनी की बंधक राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, यदि बोर्ड की राय में विलम्ब के कारण परियोजना का कार्यान्वयन कर रही कम्पनी के नियंत्रण से परे है तो बोर्ड निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आकलन करेगा और परियोजना को चालू करने के लिए अवधि में कुछ उचित विस्तार प्रदान करेगा। कम्पनी का प्राधिकार एक बार निरस्त हो जाने पर केन्द्र सरकार उपयोग के अधिकार को ऐसी कम्पनी से वापिस ले लेगी और बोर्ड द्वारा प्रधिकृत किसी अन्य कम्पनी को यह अधिकार प्रदान कर देगी।

4.2 एक बार परियोजना प्रारंभ हो जाने के पश्चात् कार्य निष्पादन बंध पत्र में परियोजना के कार्यकाल में प्राधिकार में वर्णित शर्तों के संतोषजनक अनुपालन की गारंटी की व्यवस्था होगी।

5. उपयोग का अधिकार (आर ओ यू) अधिग्रहण की शर्तें

पेट्रोलियम पाइपलाइन (भू-उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत किसी भी पाइपलाइन/शहर या स्थानीय गैस वितरण परियोजना हेतु उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण पर केन्द्र सरकार बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही

विचार करेगी। उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण उन शर्तों के अध्यधीन होगा जिन्हें जनहित में सरकार उचित मानती हो। ऐसी शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :-

(i) वनों, वन्य जीव/जलीय अभ्यारण्यों/पार्कों, निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्रों आदि में अधिग्रहीत उपयोग के अधिकार के भागों का अन्य पक्षों के साथ मिल कर उपयोग करना ।

(ii) पाइपलाइन के मार्ग/संरेखन के अन्य पाइपलाइन मार्ग/संरेखन से गुजरने के मामले में क्रासिंग के बिंदु का निर्धारण विभिन्न पक्ष परस्पर सहमति से करेंगे अन्यथा मामले को बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा तथा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

6. प्रचालनों को फैलाना

6.1 कोई भी कम्पनी जो कॉमन या अनुबंधित कैरियर गैस पाइपलाइनों के निर्माण, प्रचालन या विस्तारण के लिए आवेदन करने की इच्छुक है, उसे यह शपथ लेनी होगी कि यदि गैस विपणन अथवा शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में उसका कारोबारी हित है या उसकी कोई संबंधित कंपनी (उदाहरणतः मूल कम्पनी, समूह कंपनी, समान प्रबंधन के अंतर्गत कम्पनी, संयुक्त उद्यम कम्पनी, अनुषंगी या किसी भी प्रकार से विशेष हितों वाली कम्पनी) है जिसका ऐसे क्षेत्रों में कारोबारी हित है तो उसे गैस पाइपलाइन गतिविधि और अन्य गतिविधियों या स्वयं और संबंधित कंम्पनी के बीच यथास्थिति दूरी बनाए रखनी होगी। ऐसी दशाओं में प्राधिकृत और संबधित कम्पनियां या प्राधिकृत कम्पनी की गैस पाइपलाइन गतिविधि और अन्य गतिविधियों के बीच विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाई गई आचरण संहिता का पालन किया जाएगा। पाइपलाइन गतिविधियों में रत किसी भी मौजूदा कम्पनी जिसका गैस विपणन या शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क से संबंधित गतिविधि में कारोबारी हित है, को भी इसी प्रकार की संबंधित आचरण संहिता का अनुपालन करना होगा। बोर्ड को प्राधिकृत कंपनी के प्रबंधकीय ढांचे/स्वामित्व की रूपरेखा और लेखों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार होगा ताकि पता चल सके कि ऐसा संबंध वस्तुतः दूरी पर है। इसके लिए प्राधिकृत कम्पनी को अपने साथ-साथ संबंधित कम्पनी के संबंधित दस्तावेज/रिकार्ड बोर्ड के समक्ष मांगे जाने पर जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।

6.2 गैस बाजार के परिपक्व होने के साथ-साथ दीर्घकाल में यह माना जाएगा कि प्राकृतिक गैस का परिवहन प्राधिकृत कम्पनियों का एकमात्र कारोबारी गतिविधि होगा तथा गैस विपणन अथवा शहरी या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में उनका कोई कारोबारी हित नहीं होगा। इस प्रकार बोर्ड उचित परिस्थिति में कम्पनी की अन्य गतिविधियों से परिवहन गतिविधि को अलग करने के लिए हस्तक्षेप करेगा ।

6.3 इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि पाइपलाइन के स्वामित्व से किसी गैस विक्रेता को प्रतियोगितात्मक लाभ और बाजार के दुरुपयोग की ताकत न मिले और एक प्रभावी गैस ग्रिड स्थापित हो जिसमे सभी को भेदभाव रहित आधार पर मुक्त पहुंच उपलब्ध हो।

7. गैस ग्रिड कनेक्टिविटी

7.1 गैस ग्रिड में कनेक्टिविटी प्रचालनों की समरसता एवं विभन्न गैस पाइपलाइनों के बीच पारस्परिक कनेक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में है। भारत में भेदभाव रहित आधार पर सभी को मुक्त बाजार पहुंच और गैस ग्रिड की सथापना सहित गैस क्षेत्र के विकास हेतु प्रचालनगत समरूपता के लिए बोर्ड द्वारा विस्तृत तकनीकी आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के साथ-साथ गैस ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए कोड का विकास करना आवश्यक है। ऐसे मानकों एवं कोडों का अनुपालन गैस पाइपलाइनों के साथ-साथ शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क हेतु प्राधिकरण की अंतर्निहित शर्त होगी। बोर्ड तकनीकी कारणों से गैस ग्रिड तक पहुंच की मनाही कर सकता है।

7.2 जब भी बोर्ड आवश्यक अथवा उचित समझता है तो संचरण पाइपलाइनों के प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक पक्षों पर गैस ट्रान्सपोर्टरों की एक समिति का गठन कर सकता है। तथापि इस प्रकार के सुझावों को मानना बोर्ड के लिए आवश्यक नहीं होगा।

8. परिवहन दर

अधिनियम के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुसार कॉमन अथवा अनुबंधित कैरियर संचरण पाइपलाइन अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के परिवहन शुल्क तथा शुल्क निर्धारण का तरीका अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार बोर्ड द्वारा विहित किए अनुसार होगा ।

9. तकनीकी एवं एचएसई मानक

केन्द्रीय सरकार/बोर्ड, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट (ओ आई एस डी) से परामर्श करके वर्तमान में लागू नियमों और मानकों, मानकों, उनकी प्रयोज्यता की समीक्षा करेगा और प्राकृतिक गैस संचरण एवं वितरण पाइपलाइन तथा सिटी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संबंध में एक व्यापक तकनीकी एवं एचएसई मानक विकसित करेगा। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ गैस ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संबंधित सुविधाओं और उपकरणों सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के डिजाइन, बिछाने, प्रचालन ओर अनुरक्षण संबंधी तकनीकी ओर एचएसई मानदण्ड शामिल होंगे। देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एवं वितरण ढांचे के सुचारू विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की धारा 11(i) के अंतर्गत बोर्ड मानक स्थापित करेगा ।

10. सांविधिक अनापत्तियां

गैस पाइपलाइन या शहरी अथवा स्थानीय वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, उसका संचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए

प्राधिकृत कम्पनियों की आवश्यकता होती है जो पर्यावरण सहित इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त कर सकें ।

11. राज्य सरकारों की भूमिका

11.1 विभिन्न सांविधिक तथा अन्य अनापत्तियां तीव्रता के आधार पर उपलब्ध कराकर राज्य सरकारें गैस पाइपलाइन तथा शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने एवं उनके संचालन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तद्नुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से इन मामलों पर बातचीत करेगी ।

11.2 राज्य सरकारें शहरी गैस अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने हेतु अपनी योजनाएं बनाएंगी जिसमें वे गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए शहरों या स्थानीय क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगी । ऐसे नगरों अथवा स्थानीय क्षेत्रों की प्राथमिकता सुनिश्चित करते समय उन्हें पर्यावरण स्थानीय एवं औद्योगिक ईंधन आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखना पड़ेगा ।

12. सीधे विदेश निवेश नीति

मूलभूत सुविधा क्षेत्र में सीधा विदेश निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देश के वित्तीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक माना गया है। केन्द्रीय सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि स्थानीय स्तर के निवेश को मजबूती प्रदान करने के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित और निमंत्रित किया जाए। स्वतः अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है ।

13. गैस परामर्शदायी निकाय (जीएबी)

देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क तथा शहरी अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क को विकसित करने हेतु एक 'गैस परामर्शदायी निकाय' (जीएबी) होगा जो केन्द्र सरकार को इस संबंध में अपने सुझाव देगा । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव जीएबी का अध्यक्ष होगा तथा इसमें प्रमुख गैस उपभोक्ता मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उपभोक्ता संगठनों तथा ओद्योगिक चैम्बर्स/एसोसिएशन्स/विशेषज्ञ इकाइयों के प्रतिनिधि होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जीएबी के गठन हेतु समय-समय पर अधिसूचना जारी करेगा। जीएबी के सुझावों को मानना केन्द्र सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होगा ।

14. दीर्घावधि योजना

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण में सहायता प्रदान करने तथा शहरी अथवा स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इस हेतु एक दीर्घ अवधि कार्य योजना तैयार कर सकती है। गैस पाइपलाइन योजना तैयार करते समय केन्द्र सरकार, बोर्ड, राज्य सरकारों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, गैस उपभोक्ता उद्योगों और अन्य शेयरधारकों से परामर्श करेगी। कार्य योजना के अंतर्गत गैस/एलएनजी के विभिन्न स्त्रोतों से परिलक्षित उपलब्धता, मांग केन्द्र तथा केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप, यदि कोई हो, करने की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा ताकि देश के विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध हो सके। नई गैस पाइपलाइनों अथवा शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को प्राधिकृत/अनुमोदित करते समय बोर्ड दीर्घावधि योजना को ध्यान में रखेगा। केन्द्र सरकार कार्य-योजना की समय-समय पर समीक्षा करेगी और उसमें उपयुक्त संशोधन करेगी ।

15. विविध

15.1 केन्द्र सरकार/बोर्ड अपने स्तर पर इस बात का हर संभव प्रयास करेगा कि इस नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ताकि देशभर में पाइपलाइन और शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों/ढांचे के विकास समन्वित रूप से हो सके ।

15.2 यह नीति इस विषय पर पहले से लागू किसी भी नीति का स्थानापन्न होगी ।

15.3 केन्द्र सरकार के पास इस नीति के अंतर्गत शामिल विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा ये स्पष्टीकरण नीति की भांति ही प्रभावी माने जाएंगे ।

मनु श्रीवास्तव, निदेशक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2002

GUIDELINES FOR LAYING PETROLEUM PRODUCT PIPELINES

F.No.P-20012/5/99-PP – The Government of India are pleased to issue, in public interest, the following guidelines for laying petroleum product lines. These guidelines will come into effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Categorization of Pipelines

1. The petroleum product pipelines would be categorized as follows :-

   (i) Pipelines originating from refineries, whether coastal or inland, upto a distance of around 300 kilometers from the refinery;

   (ii) Pipelines dedicated for supplying product to particular consumer, originating either from a refinery or from oil company's terminal; and

   (iii) Pipelines originating from refineries exceeding 300 Km in length and pipelines originating from ports, other than those specified in (i) & (ii) above.

Ownership and access

2. Right of user (RoU) in land for laying pipelines under the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 for the pipelines falling under category specified in sub-clauses (i) & (ii) of clause 1, will be granted in favour of applicant company treating such pipelines as captive pipelines i.e. for exclusive use by the proposer company.

3. For grant of RoU in land for laying pipelines under the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 for the pipelines falling under the category specified in sub-clause (iii) of clause 1, the following procedure will be followed :

3.1 A proposal for laying common usage product pipeline could originate from any single interested party or a joint-venture (herein after referred to as proposer).

3.2 The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall publicize, in such manner as the Ministry may decide, the proposal inviting expression of interest, within a period of three months from anyone interested in the proposal. In case any company is interested in taking any capacity in the pipeline, it could express its interest and enter into "take or pay" or any other mutually agreeable contract with the proposer. The pipeline size and design would be finalized by the proposer after taking into consideration all such requests.

3.3 In case, no expression of interest is received from any industry player within a period of three months of publicizing the proposal, the proposer would be at liberty to go ahead with the project.

3.4 The designed pipeline capacity would be at least 25% more than the capacity requirement of the proposer and of those who take capacity under clause 3.2, as may be decided by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

3.5 The ownership of the pipeline would be that of the proposer or as may be decided by the proposer, irrespective of whether the other industry player(s) take pipeline capacity or not.

3.6 The excess capacity, as mentioned in clause 3.4, would be available for use by anyone, other than the owner and those taking capacity under clause 3.2, at the approved tariff, as per the provisions under clause 4, on "common carrier" basis i.e. capacity would be made available to anyone interested and offering to pay the tariff. In case such demand exceeds this excess capacity, the allocation of the excess capacity would be pro-rated amongst the interested users other than the owner and those taking capacity under clause 3.2.

Tariff

4. Tariff for the pipelines commissioned after the date of publication of this notification in the Official Gazette and falling in the category specified in sub-clause (iii) of clause 1, will be subject to the control orders or the regulations that may be issued by the Government or the statutory authority in this behalf under any law for the time being in force.

Conditions under RoU acquisition

5. The ROU acquisition under the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 will be subject to such conditions as may be deemed fit by the Government in public interest. Such conditions may inter alia include the following:

5.1 Sharing of portions of acquired ROU falling in forest areas, wild-life/marine sanctuaries/parks, prohibited/restricted areas, etc. with the other interested parties.

5.2 In case the route/alignment of the pipeline crosses another pipeline route/alignment, the points of crossing would be decided by mutual

agreement between the parties, failing which the matter will be referred to the Ministry of Petroleum and Natural Gas whose decision will be final.

Miscellaneous

6.1 These guidelines will remain in force till the Petroleum Regulatory Board is constituted.

6.2 After Petroleum Regulatory Board is constituted, the RoU in land for laying petroleum product pipelines will be granted by the Ministry of Petroleum & Natural Gas subject to fulfillment of requirements under the petroleum regulatory law.

6.3 These guidelines will supercede any other guidelines prevailing on the subject.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

GUIDELINES FOR LAYING PETROLEUM PRODUCT PIPELINES

In a major decision towards deregulation of oil sector and to attract investment in the petroleum product pipelines, in November, 2002 Government had laid down a new Petroleum Product Pipeline Policy for laying pipelines in the country on common carrier principle. Guidelines for laying petroleum product pipelines were notified on 20.11.2002. Supplementary guidelines in this regard have also been notified on 26.10.2004.

❋✳❋✳❋✳

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2004

Supplementary Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines

F.No.P-20012/5/99-PP/OR-II. — In continuation of notification F.No.P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002 of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas published in the Gazette of India Extraordinary, Part I – Section I, regarding Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines, the Government of India are pleased to issue, in public interest, the following supplementary guidelines for pipelines falling under category 1 (iii) of the aforesaid guidelines 20.11.2002.

Common Carrier Capacity

1. The "common carrier" capacity to be built under para 3.4 of the Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines notification F.No.P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002 provides the right of first use to any party other than the owner/proposer, throughout the life of the pipeline.

2. In the event that capacity is available out of the common carrier capacity, the owner/proposer may utilise the same with the stipulation that should any other party seek transportation through common carrier capacity, the owner/proposer would vacate and make available common carrier capacity up to the designated level immediately.

Time Frame For Completion of Pipeline

3. Pipeline project will be required to be commissioned with in the time period provided in the sanction/approval letter, which shall have an outer limit of 36 months from the date of sanction/approval.

Bank Guarantee

4. The owner/proposer will be required to furnish an irrevocable bank guarantee of an amount equivalent to 2% of the project outlay or Rs.2 lakhs per kilometer of pipeline proposed, whichever is higher, as a guarantee for commissioning the pipeline project as per the approved time schedule. The irrevocable bank guarantee shall be en-cashable any time after 36 months from the date of the sanction/approval and will be dischargeable only on advice of the Government. If the completion of the project is delayed beyond 36 months from the date of sanction/approval of the project, then the bank guarantee may be invoked.

5. The ROU acquisition would be commenced after execution of Bank Guarantee and its deposit with the Government.

6. The Bank Guarantee may be deposited within 30 days of issue of sanction letter failing which sanction letter would stand withdrawn.

7. The bank guarantee will be discharged on commissioning of the pipeline within the time period specified and satisfactory compliance of conditions imposed through the sanction/approval letter.

Competent Authority for Acquiring ROU

8. Only serving Government Officers will be considered for working as Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962.

Transfer of Ownership

9. Where a pipeline implementing company is a subsidiary company and has been granted sanction/approval letter on the basis of its holding/parent company's balance sheet, permission of Ministry of Petroleum and Natural Gas will be required to be obtained prior to any change in management/majority holding in such pipeline implementing subsidiary.

Eligibility of Players Seeking Capacity in a Pipeline Project

10. Any party may approach the proposer to seek capacity in a pipeline project for which an EOI has been issued under Guidelines for Laying Petroleum Product Pipelines notification F. No. P-20012/5/99-PP dated 20.11.2002. Eligibility of parties seeking capacity will not be limited on the grounds that the party, seeking capacity is neither a refinery nor possessing any marketing rights.

Miscellaneous

11. These supplementary guidelines may be read in the context of the earlier guidelines of 20.11.2002. Ministry of Petroleum and Natural Gas shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the Guidelines /Supplementary Guidelines

PRABH DAS, Jt. Secy.